

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / प्रशा / प्रवेश / 2019 / 1508

दिनांक ...10/4/19

प्रति,

समस्त निदेशक / समन्वयक / विभागाध्यक्ष,  
समस्त अध्ययनशाला,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर


विषय:- अध्ययनशालाओ/विभागो द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापन अंग्रेजी/हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते है उन्हे अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

संदर्भ:- मि0 सं0 16-1/2018 (राजभाषा) दिनांक 18.12.2018 के संदर्भ में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित मानव विकास मंत्रालय के पत्र फा.सं. 13035-14/2017/रा.भा.ए. दिनांक 27.11.2018 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि कार्यालयों/विश्वविद्यालयों में संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए तथा समस्त अध्ययनशालाओं/विभागो द्वारा प्रकाशित कराये जाने हेतु विज्ञापनों को हिन्दी भाषा में भी होना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालयों द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते है उन्हे हिन्दी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विभागाध्यक्ष / समन्वयक / संचालक, विश्वविद्यालय अध्ययनशालाएँ/अध्ययनकेन्द्र जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

  
सहा0 कुलसचिव (प्रशा0)